रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20032020-218819
CG-DL-E-20032020-218819

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1034]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 19, 2020/फाल्गुन 29, 1941
No. 1034]	NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 19, 2020/PHALGUNA 29, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2020

का.आ. 1152(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धाराओं 3, 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक हित में पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा को पूरा करने के पश्चात् भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में, संख्या का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2020 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में (इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है), ‘शहरी विकास मंत्रालय’, जहां भी उल्लिखित है, शब्दों के स्थान पर ‘आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय’ के रूप में रखा जाएगा।

3. उक्त नियमों के नियम 2 में, ‘महा पंजीकार और भारत के जनसंख्या आयुक्त द्वारा घोषित किए गए अनुसार जनसंख्या कस्बों, शब्दों के पश्चात् ‘3000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को’, शब्दों और आंकड़ों को अंत:स्थापित किया जाएगा।

4. उक्त नियमों में, नियम 6 में, (i) उप-नियम (च) में, अंत में आने वाले “और” शब्द का लोप किया जाएगा; (ii) उप-नियम (छ) में, अंत में आने वाले “कंपनियों” शब्द के पश्चात, “और” शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा; (iii) उप-नियम (छ) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

   (ज) नियम 11 के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इन नियमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;

5. उक्त नियमों में, उप-नियम (य ट) के पश्चात् नियम 15 में, निम्नलिखित उप-नियम को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

(य ठ) मलिन बस्तियों और अनौपचारिक बस्तियों, वाणिज्यिक, संस्थागत और अन्य गैर-आवासीय परिसरों, बहु-मंजिल भवनों, बड़े वाणिज्यिक परिसरों, मॉल, आवासीय परिसरों आदि सहित घरों से जैव-अवक्रमणीय, गैर जैव-अवक्रमणीय और घरेलू खतरनाक अपशिष्ट को अलग-अलग डिब्बों में संग्रहित करना और उन्हें ढक कर वाहनों में संबंधित प्रसंस्करण सुविधा तक ले जाना।

[फा. सं. 18-3/2001-एचएसएमडी]

गीता मैनन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (II) में का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2020

S.O. 1152(E).—In exercise of powers conferred by sections 3, 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Solid Waste Management Rules, 2016, published in the gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1357(E), dated the 8th April, 2016, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 in public interest, namely :-

1. (1) These rules may be called the Solid Waste Management (Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Solid Waste Management Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), for the words "the Ministry of Urban Development", wherever they occur, the words "the Ministry of Housing and Urban Affairs" shall be substituted.

3. In the said rules, in rule 2, after the words "census towns as declared by the Registrar General and Census Commissioner of India", the words and figures "villages with population more than 3000," shall be inserted.

4. In the said rules, in rule 6,

(i) in sub-rule (e), the word "and" occurring at the end shall be omitted;

(ii) in sub-rule (f), after the word "companies" occurring at the end, the word "; and" shall be inserted;

(iii) after sub-rule (f), the following sub-rule shall be inserted, namely

"(g) ensure the implementation of these rules by the States and the Union territories as per rule 11".

5. In the said rules, in rule 15, after sub-rule (zk), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

"(**zl)** collect and transport bio-degradable, non-bio-degradable and domestic hazardous waste from households including slums and informal settlements, commercial, institutional and other non-residential premises, multi-storey buildings, large commercial complexes, malls, housing complexes and the like in compartmentalised and covered vehicle to the respective processing facility".

[F. No. 18-3/2001-HSMD]

GEETA MENON, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1357(E), dated the 8th April, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.03.20 21:49:00 +05'30'